

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

OA No. 287/2022

IN THE MATTER OF:

AMIT KISHORE

... Petitioner

Versus

STATE OF UP & Others

... Respondents

REPLY OF THE RESPONDENT NO.02 GHAZIABAD NAGAR NIGAM

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present matter is pending before this Hon'ble Court whereby this Hon'ble Court vide order dated 21.02.2023 has directed the Respondent No.2 to furnish the following information:

10. In these facts and circumstances, Respondent No. 2- Ghaziabad Nagar Nigam is directed to file affidavit of its Officer conversant with the facts of the case specifically mentioning (i) particulars of the site in question with specific measurements which was demarcated as vending zone and where the Iron Shops/Kiosks were installed, (ii) whether the site in question or any part thereof, which was demarcated as vending zone and where the Iron Shops/Kiosks were installed,

is part of Green Belt reserved by Respondent No. 3-UPAVP handed over to Ghaziabad Nagar Nigam for maintenance or not and (iii) how many Iron Shops/Kiosks were installed at the site in question in Sector 15 and were subsequently removed on 03.11.2022.

2. That in compliance of the order dated 21.02.2023, the as-on-date site plan with measurements is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-1** and **ANNEXURE A-2**.
3. That two locations were identified for the installation of removable/temporary iron kiosks. The first location was in front of CWR Sector 15, Vasundhara, Ghaziabad where 52 Kiosks were installed. The other location was the opposite side of Commercial Complex, where 11 kiosks were installed. In total the total installed removable make-shift kiosks in Vasundhara Sector-15 were: $52+11=63$.
4. That out of 63 Kiosks in total in Vasundhara Sector-15, 5 vendors removed their kiosks on themselves following the public announcement. Remainder 58 Vendors continued to do their business on the location.
5. That on 03.11.2022, 58 shops were removed from two locations of Vasundhara Sector-15: 47 shops from opposite of CWR and 11 Shops from opposite of the Commercial Complex.

6. That OM No.191/Ni. Pra-1/84 dated 02.02.1984 of the UP- Awas Vikas Parishad under Cl.01 provides that only roads (which include Water supply line, sewage etc), open space for ventilation and entertainment are transferable to the Local Bodies. Under Clause 2, the OM provides that after handover of the above road and open space, the same shall vest in the local body and the ownership of the UP-AWP shall end. The true copy of the OM No.191/Ni. Pra-1/84 dated 02.02.1984 of the UP- Awas Vikas Parishad is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-3**.
7. That notwithstanding the above, the GNN vide letter No. 1844/MC/2022-23 dated 03.03.2023 sought approval of the Ghaziabad Development Authority for establishing Vending Zone in Vaishali Sector-7 opposite KR Mangalam School and near Ramprastha Green Society, whereupon which the GDA vide letter No. 986/Nagar Niyo/2023 dated 15.04.2023 has communicated the No-objection. The true copy of the letter No. 1844/MC/2022-23 dated 03.03.2023 of the Municipal Commissioner Ghaziabad is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-4**. The true copy of the letter No. 986/Nagar Niyo/2023 dated 15.04.2023 of the Vice Chairman Ghaziabad Development Authority is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-5**.
8. That the kiosks of the street vendors which were removed on 03.11.2022 are intended to be relocated in Vaishali Sector-7 on the locations as above.

9. That in the light of the OM No.191/Ni. Pra-1/84 dated 02.02.1984 of the UP- Awas Vikas Parishad, there is no requirement to obtain NoC from UP- AWP, as the title of the land, per the OM now vests in the Local Body, i.e. Ghaziabad Nagar Nigam.

10. That nothing material is concealed herefrom.

Through Counsel



(Vibhav Mishra, Adv)

Ch No.- 221, C.K. Daphtary Block,
Tilak Lane, Supreme Court of India, New Delhi-110001
(e):vibhvmishra@outlook.in, (M): 9473565666

Date: 19.04.2023

Place: New Delhi

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

OA No. 287/2022

IN THE MATTER OF:

AMIT KISHORE

... Petitioner

Versus

STATE OF UP & Others

... Respondents

AFFIDAVIT


I, Arun Kumar Yadav, S/o Sri Balram Singh Yadav aged about 47 Years, , presently posted as Additional Municipal Commissioner of the Ghaziabad Nagar Nigam, Ghaziabad, Uttar Pradesh, do solemnly affirm and state on oath as under

PRESENTLY AT DELHI

1. That I am the Additional Municipal Commissioner of the Ghaziabad Nagar Nigam and as such I am well conversant with the facts of this case and thus I am competent to swear this affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply are true and correct to the best of my knowledge derived out of records and the annexure appended thereto are true and correct.

correct.

That nothing material has been concealed here-from, nor any false statement is being made.



DEPONENT

VERIFICATION:

I, the above-named deponent do hereby verify that the facts stated in paragraphs 1 to 10 of the reply and true to my knowledge and are believed to be true and nothing material has been concealed therefrom from this Hon'ble Tribunal.

20 APR 2023

Verified at New Delhi on this the ___ day of April, 2023.

DEPONENT

ATTESTED

20 APR 2023

NOTARY PUBLIC, DELHI
GOVT. OF INDIA

IDENTIFIED

LAYOUT PLAN SECTOR -15

VASUNDHARA GHAZIABAD


INDEX

Iron Shops Removed

Total Shops (43+4) = 47 Nos.

Each Shops Area = (1.83x1.83m)
= 3.35m²

Total Length of Shops Removed
= (103.89m+9.66m)
= 113.55 metre




D/MAN:- VINOD TYAGI

LAYOUT PLAN SECTOR -15
VASUNDHARA GHAZIABAD

INDEX

Iron Shops Removed
 Total Shops = 11 Nos.
 Each Shops Area = (1.83x1.83m)
 = 3.35m²
 Total Length of Shops Removed
 = (26.58m)



D/MAN-: VINOD TYAGI

परि-1

उपरोक्त एवं विकास परिषद,
(नगर नियोजन एवं वा0अनु0)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

संख्या:

191/वि0अनु0-1/84

दिनांक: फरवरी- 2, 1984

कार्यालय आप

पिछले कुछ समय में परिषद के कतिपय अधिकारियों द्वारा परिषद की विभिन्न योजनाओं में सड़कों, पार्कों आदि के हस्तान्तरण के उपरान्त परिषद योजनाओं पर परिषद के अधिकारियों के बारे में कुछ स्याय व्यक्त किये गये हैं। इस स्थिति का विशुद्ध विधिक परीक्षण कराया गया है जिससे उपरान्त स्थिति निम्न प्रकार है:-

- (1) परिषद अधिनियम की धारा- 41 के अन्तर्गत परिषद योजनाओं की केवल सड़के (जिसमें जल सप्लाई नाली, सिवरेज आदि शामिल है) तथा केन्टीलेन और मनोरंजन हेतु छोड़ी गयी खुली भूमि ही स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की जाती है।
- (2) हस्तान्तरण के उपरान्त उक्त सड़के तथा खुली भूमि सम्बन्धित स्थानीय निकाय में स्थित हो जायेगी अर्थात् इन पर से परिषद का स्वामित्व समाप्त हो जायेगा।
- (3) उपरोक्त के फलस्वरूप योजना की रोप भूमि सम्बन्धित पर परिषद का स्वामित्व अक्षुण्ण रह जाता है। ऐसी दशा में नगर पंचायत/नगर पालिका में स्थित भूमि को छोड़कर रोप पर निर्माण करने का अधिकार परिषद को प्राप्त है।
- (4) परिषद के अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में स्थित हो चुकी सड़कों व पार्कों को छोड़कर रोप भूखण्डों पर से अतिक्रमण होने का अधिकार परिषद को उस समय तक प्राप्त रहता है जब तक कि योजना पूरी तरह निष्पादित नहीं हो जाए। हस्तान्तरित सड़कों व पार्कों आदि पर से अतिक्रमण होने हेतु परिषद स्थानीय निकाय से अनुरोध कर सकती है। और उसका अनुपालन न करने पर धारा 41(5) के अन्तर्गत शासन को रिफरेंस कर सकती है।
- (5) योजना की उस भूमि को छोड़कर जिनका स्वामित्व स्थानीय निकायों में परिषद अधिनियम की धारा-41 के अन्तर्गत स्थित हो चुका है रोप भूमि पर भवनों के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण सम्बन्धी मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार परिषद को प्राप्त है।
- (6) हस्तान्तरण के पूर्व परिषद द्वारा पारित मानचित्र व किये गये कार्य हस्तान्तरण के उपरान्त भी प्रभावी माने जायेंगे क्योंकि स्थिति विधायिका द्वारा निर्मित अधिनियमों के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों के अन्तर्गत किये गये कार्य केवल स्वामित्व अथवा मनेजमेंट के परिवर्तन से अक्षेप व निष्प्रभावी नहीं हो जाते हैं।

र0/-

(ग्याम गुरी)
आवास आयुक्त

• • 2/-

(2)

संख्या 191/

दिनांक:

प्रतिनिधि निर्माणाधीन को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1: मुख्य अभियन्ता/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिवासी अभियन्ता/
कार्य अधीक्षक, वि0नि0र0-10, मेरठ।
- 2: उप आवास आयुक्त/समस्त सहायक आवास आयुक्त।
- 3: मुख्य वास्तुविद/समस्त वास्तुविद नियोजक/समस्त निरीक्ष
कार्याधिकारी।
- 4: परिषद मुख्यालय के अन्य सभी अधिकारियों।

र0/-

(ग्याम गुरी)
आवास आयुक्त



गाजियाबाद नगर निगम

***** I.S.O. 9001, 14001 & 18001 Certified Organisation *****ODF** City

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम,
गाजियाबाद।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

पत्रांक 1844/न.आ./2022-23

दिनांक : 02/03/2023

विषय: वैशाली, सेक्टर-7 स्थित के.आर.मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे रिक्त पड़ी भूमि पर वेन्डिंग जोन बनाये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-9, द्वारा आदेश सं0 111/9-9-2017-170ज/2006, लखनऊ दिनांक 10.05.2017 के द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियमावली-2017 में निर्दिष्ट प्राविधान अनुसार पथ विक्रेताओं को समुचित स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर टाउन वेडिंग जोन बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नगर निगम जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), गाजियाबाद द्वारा विभिन्न स्थलों पर टाउन वेडिंग जोन चिन्हित कराये जाने हेतु स्थलों का चयन कर लिया गया है। वसुन्धरा क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को समुचित स्थल उपलब्ध कराने हेतु वैशाली सेक्टर-7 स्थित के.आर.मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि रिक्त है, जिस पर वेडिंग जोन का चिन्हांकन कराया जाना है, जिस हेतु आपकी अनुमति/अनापत्ति अपेक्षित है। उक्त स्थल पर वेन्डिंग जोन चिन्हित किये जाने हेतु कोई पक्का निर्माण नहीं किया जायेगा। वेन्डिंग जोन पूर्णतः अस्थाई होगा। पथ विक्रेताओं को नियमावली में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार प्रतिदिन स्थल खाली करना होगा तथा पथ विक्रेता को प्रत्येक दिवस निश्चित समय पर ही वेन्डिंग जोन में सामान विक्रय किये जाने की अनुमति होगी।

अतः सादर अनुरोध है कि वसुन्धरा क्षेत्र के पथ विक्रेताओं को समुचित स्थल उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल वैशालीसेक्टर-7 स्थित के.आर.मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की रिक्त पड़ी भूमि पर वेडिंग जोन का चिन्हांकन कराये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति निर्गत कर नगर निगम को शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। पथ-विक्रेताओं की समस्याओं एवं कानून व्यवस्था के दृष्टि से भी अधिकृत वेन्डिंग जोन स्थापित किये जाने आवश्यक है।

संलग्नक:-स्थल का नजरी नक्शा।

भवदीय,

(डॉ.नितिन गौड़)

आई.ए.एस.

नगर आयुक्त

प्रतिलिपि: 1.जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।

2.श्री अरुण कुमार, अपर नगर आयुक्त को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।



3.परियोजना अधिकारी, डूडा, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4.पथ-विक्रेता समिति (टी.वी.सी.) सदस्यों को सूचनार्थ।

(डॉ.नितिन गौड़)

आई.ए.एस.

नगर आयुक्त



23



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक १८६ / नगर नियो ० / 2023
सेवा में,

दिनांक 15/04/2023

नगर आयुक्त
नगर निगम
गाजियाबाद।

विषय : वैशाली, सै०-७ स्थित के०आर० मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे रिक्त पड़ी भूमि पर वैन्डिंग जोन बनाये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-1844/न.आ./2022-23 दि०-13.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से नगर विकास के अधिसूचना दि०-10.05.2017 के अन्तर्गत वैशाली सै०-७ स्थित के०आर० मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे पथ विक्रेताओं हेतु वैन्डिंग जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति मांगी गयी है, जिसके साथ साईट चिन्हित कर संलग्न की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित स्थल प्राधिकरण के नियोजित वैशाली योजना सै०-६ का पार्ट है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जोन-६ द्वारा अपने पत्र दि०-15.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वैशाली योजना दि०-31.03.2004 को नगर निगम को हस्तान्तरित भी की जा चुकी है। इस सन्दर्भ में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी०पी० त्रिपाठी)

मु०न०नि०/अपर सचिव

पृष्ठांकन सं०: / नियो०अनु० / 2023

दिनांक

प्रतिलिपि:

1. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ।

मु०न०नि०/अपर सचिव








Ghaziabad
Uttar Pradesh
India

2023-04-20(Thu) 04:43(PM)

34°C
93°F




PLOT NO 66, Sector 7, Vaishali Extension, Ramprastha Greens, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012, India

Ghaziabad
Uttar Pradesh
India

34°C
93°F

2023-04-20(Thu) 04:42(PM)




PLOT NO 66, Sector 7, Vaishali Extension, Ramprastha Greens, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012, India

Ghaziabad
Uttar Pradesh
India



34°C
93°F

2023-04-20(Thu) 04:41(PM)



PLOT NO 66, Sector 7, Vaishali Extension, Ramprastha Greens, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201012, India

Ghaziabad
Uttar Pradesh
India



34°C
93°F

2023-04-20(Thu) 04:40(PM)